

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 66/2022 बउनवानी संतोष अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति०जिला कलेक्टर,स०मा० निवासी मु.पो. वजीरपुर

GCMS No-2022/115

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

26.8.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. वजीरपुर ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट सन् 1955 से 1972 तक की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक /एफ.10/सूकाअ/2022/718 दिनांक 18.7.2022 से अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र आर.टीआई अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अपील से संबंधित नोटिस उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को जरिये पत्रांक/एफ.10/सूकाअ/2022/718 दिनांक 18.7.2022 भिजवाकर अपीलान्त को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जा चुका है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक/निर्वाचन/सूकाअ/2022/331 दिनांक 26.8.2022 द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड काफी पुराना है जो अभी तक चुनाव रिकार्ड में रूम में उपलब्ध नहीं हो पाया है। सूचना से संबंधित रिकार्ड चुनाव रिकार्ड रूम में उपलब्ध होने पर अपीलान्त को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना 1955 से 1972 की होने के कारण काफी पुरानी है जिसको रिकार्ड रूम में तलाश करवाया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलान्त को अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकार्ड तलाश करवाया जाकर अपीलान्त को 15 दिवस में निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर